

(Published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary)  
Government of India  
Ministry of Chemicals and Fertilizers  
Department of Pharmaceuticals  
National Pharmaceutical Pricing Authority

New Delhi, 2<sup>nd</sup> February, 2024

**ADDENDUM**

S.O. 426(E):-The National Pharmaceutical Pricing Authority's Order No. 1576(E) dated 31<sup>st</sup> March 2023 and addendum issued vide S.O. 4889(E) dated 10<sup>th</sup> November, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, related to ceiling price fixation of the scheduled formulation as specified therein is henceforth to be read with the following additions:

(1) Sl. No. 6 shall be added in Table 'B' as below:

Sl. No.	Name of Manufacturer
(1)	(2)
6.	M/s Promea Therapeutics Pvt. Ltd

PN/252/120/2023/F

F. No. 8(120)/2024/D.P./NPPA-Div.-II

(Mahaveer Saini)  
Deputy Director

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार  
रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
औषध विभाग  
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

नई दिल्ली, तारीख: 2 फरवरी 2024

परिशिष्ट

का. आ. 426(अ):- भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश संख्या 1576(अ) दिनांक 31 मार्च 2023 और दिनांक 10 नवम्बर 2023 को जारी किया गया परिशिष्ट का.आ. 4889(अ), जो उसमें निर्दिष्ट अनुसूचित फॉर्मूलेशन के अधिकतम मूल्य निर्धारण से संबंधित है, को अब से निम्नलिखित जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए:

(1) क्र. संख्या 6 को तालिका 'बी' में निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

क्र.सं	विनिर्माताओं का नाम
(1)	(2)
6.	मैसर्स प्रोमिया थैरेप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड

पी.एन./252/120/2024/एफ

फा. सं. 8(120)/2024/डीपी/एनपीपीए-डीवी-II

(महावीर सैनी)  
उप निदेशक (मूल्य निर्धारण)